Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 3 | MARCH 2024

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण के गंभीर मुद्दे : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में)

सुनील भाटी [1]

[1] पूर्व सहायक आचार्य [अतिथि शिक्षक], राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय देवली कलां जिला ब्यावर, राजस्थान.

ABSTRACT:

सृष्टि के प्रत्येक काल में उस पर शासन की व्यवस्था चलती रही है। यूं तो सकल जगत का संचालक वह सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन पृथ्वी पर शासन करने की व्यवस्था एक राजनीतिक वातावरण को जन्म देती है। जिसमें की भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। जहाँ राजनीति के विविध रूप देखने को मिलते हैं। वर्तमान संदर्भ में दृष्टिपात करें तो सर्वाधिक अवसाद इस बात का है कि, भारतीय राजनीति में अपराधीकरण निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिये खतरे की घंटी जैसा है। सृष्टि का आरंभिक काल ईश्वरीय शासनवत प्रतीत होता था। जहां शासन व्यवस्थायें नैतिक, चारित्रिक, मानवीय एवं संस्कारात्मक गुणों से व्याप्त थीं। लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तित हुआ मानव सभ्यता भौतिक प्रगति के साथ साथ स्वार्थपरता के अधीन होता चला गया। उसमें निरंतर विकार उत्पन्न होते चले गए। और राजनीति छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थ, सत्ता के मद का अखाड़ा बन गई। यही कारण है कि, आज वर्तमान युग राजनीति के संदर्भ में अत्यधिक निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है। उसमें अनेक ऐसी बुराइयाँ निहित होती चली जा रही है जो आपराधिक प्रवृतियों को निरंतर वृद्धि प्रदान कर रही हैं। राजनीति में अपराधीकरण का प्रभाव प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक अपनी जड़ें जमाने में कायम रहा है। चाहे नेता हों या कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक दल सभी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को पुष्ट करते रहने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति की जड़ें सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों को चारों ओर से घेरे हुए हैं। क्योंकि यह राजनीतिक दल स्वयं उनके व्यक्तित्व, सत्ता और सरकार को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अपने हित साधन के लिये कोई सा भी हथकंडा अपनाने के लिये तत्पर रहते हैं।

भारत वर्ष के राजस्थान राज्य की ओर दृष्टि डाली जाय तो वहाँ अपराधीकरण सदैव से विवादास्पद रहा है। आजादी से लेकर आज तक यहां राजनीतिक अपराधीकरण को निरंतर वृद्धि प्राप्त होती रही है। धीरे-धीरे राजस्थान राज्य की व्यवस्थाओं को भ्रष्टाचार, आतंक, बेरोजगारी, माफियाकरण, छुआछूत, ईर्ष्या द्वेष, खुलेआम बदनाम करने एवं प्रभाव विहीन कर देने की सत्ता ने इसकी जड़ों को कमजोर करना प्रारंभ कर दिया है। अतः आज इस दृष्टि से राजस्थान की ओर दृष्टिपात करना अपेक्षित है। जो गंभीर चिंतन का एक बहुत बड़ा कारण है।

KEYWORDS:

भारतीय राजनीति, अपराधीकरण, गंभीर, मुद्दे, विश्लेषणात्मक अध्ययन, राजस्थान, भ्रष्टाचार, आतंक, बेरोजगारी।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
28th March 2024	30th March 2024

प्रस्तावना

राजस्थान भारत का एक महत्त्वपूर्ण प्रांत है। यह 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना, जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुई। भरतपुर के जाट शासक ने भी अपनी रियासत का विलय राजस्थान में किया था। राजस्थान शब्द का अर्थ है: 'राजाओं का स्थान' क्योंकि ये राजपूत राजाओं से रक्षित भूमि थी इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा करने के बाद जब सत्ता- हस्तांतरण की कार्यवाही शुरू हुई, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि, स्वतंत्र भारत का राजस्थान प्रांत बनना और राजपूताना के तत्कालीन हिस्से का भारत में विलय एक दुर्लभ कार्य सिद्ध हो सकता है। आजादी के घोषणा के साथ ही राजपूताना के देशी रियासतों के मुखियाओं में स्वतंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की होड़ सी मच गयी थी, उस समय वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के नजरिये से देखें तो राजपूताना के इस भू-भाग में कुल 22 देशी रियासतें थी। इनमें एक रियासत अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत को छोड़ कर शेष देशी रियासतों पर देशी राजा महाराजाओं का ही राज था। अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था; इस कारण यह तो सीधे ही स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष 21 रियासतों का विलय होना यानी एकीकरण कर 'राजस्थान' नामक प्रांत बनाया जाना था। सत्ता की होड़ के चलते यह बड़ा ही दुर्लभ लग रहा था, क्योंकि इन देशी रियासतों के शासक अपनी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को दूसरी प्राथमिकता के रूप में देख रहे थे। उनकी मांग थी कि वे सालों से खुद अपने राज्यों का शासन चलाते आ रहे हैं, उन्हें इसका दीर्घकालीन अनुभव है, इस कारण उनकी रियासत को 'स्वतंत्र राज्य' का दर्जा दे दिया जाए। करीब एक दशक की ऊहापोह के बीच 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल सात चरणों में 1 नवम्बर 1956 को पूरी हुई। इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासतों के प्रणेता और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वी.पी. मेनन की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका।

राजस्थान में राजनीतिक दौर

1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरम्भ किया, जिससे राजस्थान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। असहयोग आन्दोलन ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत की, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनका मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग करना था। सिरोही, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, अलवर और हाड़ौती आदि राज्यों में भाषण देने पर प्रतिबन्ध था और सार्वजनिक सभा का आयोजन भी नहीं किया जा सकता था। परन्तु इन राज्यों में अनेक राजनीतिक आन्दोलन हुए, इसलिए 1924-25 में राजस्थान के राज्यों में निरंकुश दमन का नया दौर आरम्भ हुआ।

अपराधीकरण की अवधारणा –

एक ऐसा गैर कानूनी कार्य जिसे समाज के द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता, जो मानवीय मूल्यों की स्वीकृति से परे है अपराध की श्रेणी में आता है। और जब यह अपराध एक श्रृंखला के रूप में समाज को चारों ओर से घेर लेते हैं तब इसी को अपराधीकरण के रूप में जाना जाता है। अपराधीकरण के साथ राजनीति शब्द को जोड़ लेने पर यह राजनीतिक अपराधीकरण के रूप में परिभाषित होता है। राजनीतिक अपराधीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है जो, अपनी प्रजा के प्रति व्यवस्थित, संस्कारित, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक न होकर कोरे स्वार्थ से व्याप्त हो चुकी है। इसी के साथ साथ एक ऐसी मानसिकता जो संपूर्ण मानव सभ्यता को मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आत्मिक,

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से आहत करें राजनीतिक अपराधीकरण की श्रेणी में आती है।

पिछली शताब्दी के आठवें दशक में भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम पनपती हुई दुखदायी व्यवहार प्रणाली की ओर संकेत किया और यह चिंता जतायी कि कहीं यह प्रक्रिया हम प्रजातंत्र को ही प्रतिस्थापित न कर दें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने हित साधन के लिए किसी भी मनुष्य को मोहरा बनाने में पीछे नहीं हटती । यह आपराधिक प्रवृत्ति राजनीतिक धरातल पर मात्र गिने चुने सत्ताधारियों के स्वार्थ हित साधन का एक मुख्य कारण है। उदाहरण के रूप में चुनावों में होने वाला अनाप शनाप खर्च और इसके लिए इकट्ठा किया गया कालाधन, लाठी के बल पर वोट डलवाना, पोलिंग बूथ पर जबरन कब्जा कर लेना, जाली मतदाता और जीतकर आए सांसद तथा विधायक जिन्हें न शासन का अनुभव है ना ही संविधान की समझ जिनकी ख्याति का माध्यम मात्र अपराध, कुकर्म, हत्या, दादागिरी, हफ्तावसूली, लूटपाट, हमला, डकैती आदि है सभी कुछ राजनैतिक अपराधिकरण का सूचक है।

इस प्रकार राजनीति में निरंतर अपनी सत्ता को कायम करने, बनाए रखने के लिए अपराध का प्रयोग करते रहना ही राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देता है । राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपराध का सहारा लेना वर्तमान राजनीति का मुख्य अंग बन गया है। इसी स्थिति को वर्तमान परिदृश्य में राजनीतिक अपराधीकरण की संख्या दी गई है।

राजस्थान की राजनीति में अपराधीकरण –

राजस्थान राज्य को यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ दिनों दिन अपराधीकरण का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। राजस्थान में अपराध की प्रवृत्तियाँ राजनीति को प्रत्येक पहलू के आधार पर विहीन बनाने में सहायक हो रही है । राजस्थान राजनीति में माफियाकरण, भ्रष्टाचार, आतंक, बेरोजगारी, छुआछूत जैसे विभिन्न मुददे खुलेआम राजनीति के धरातल को कलंकित करते चले जा रहे हैं। राजस्थान में जातिगत भ्रष्टाचार अपराध की प्राथमिक नींव माना जाता है।

एक विचारशील सांसद जयपाल रेड्डी ने 1997 में संसद में कहा था- "सभी राजनीतिक दलों का अपराधियों के साथ गठबंधन है, इस सम्बन्ध में विभिन्न राजनीतिक दलों में केवल मात्रात्मक अन्तर है, कोई गुणात्मक अन्तर नहीं है, सभी राज्यों में यह स्थिति है लेकिन प्रकृति का अन्तर हो सकता है। राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत राष्ट्रीय दलों में हुई, लेकिन आज राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दल अपराध जगत से अधिक जुड़े हुए है। अपराधी तत्त्व क्षेत्रीय दलों की राजनीति में जातिय, साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय प्रश्नों से जुड़ी राजनीति में अपेक्षाकृत अधिक सरलता और शीघ्रता से प्रवेश पा लेते हैं"।

राजनीतिक अपराधीकरण के प्रमुख कारण:

प्रत्येक कार्य के पीछे उसका कोई न कोई कारण निहित होता है। इसी प्रकार राजनीतिक अपराधीकरण के पीछे भी एक गहरा कूटनीतिक स्वहित छिपा होता है । जिसके कारण राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। जिसमें सबसे पहला कारण है वोटबैंक की राजनीति। यूँ तो भारत के कोने कोने में वोटबैंक की राजनीति व्याप्त है लेकिन राजस्थान की ओर दृष्टि डालें तो वहाँ भी इस राजनीति ने दलों को अछूता नहीं छोड़ा। प्रत्येक दल अपने वोट को बनाने के लिए भोली भाली जनता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है और उनसे अनेक प्रकार के वादे करता है। ये सारे वादे, ये सारे प्रलोभन, सभी लालच सत्ता से पूर्व दिए जाते हैं लेकिन जैसे ही राजनीतिक दल वोट जीतकर अपनी सत्ता को प्राप्त करते हैं सभी अपने द्वारा किये गए वादों से मुकर जाते हैं और हर प्रकरण से जनता को भ्रमित करना प्रारंभ कर देते हैं। जनता के प्रति अविश्वास उत्पन्न करना उनकी कोमल भावनाओं से खेलना उनको लालच में देखकर अपने मनसूबे सिद्ध करना किसी अपराध से कम नहीं।

आज विकृत राजनीति के कारण बड़े बड़े राजनेता सत्ता, धन आदि की शक्ति आ जाने के बाद कानूनी निर्णयों का भी उपहास करना प्रारंभ कर देते हैं जिसके कारण राजनीति का क्षेत्र अपराधीकरण का मुख्य स्थान बनता चला जा रहा है।

राजनीतिक अपराधीकरण का प्रमुख कारण नैतिक मूल्यों का ह्रास हैं। वर्तमान युग में मनुष्य के बीच नैतिक मूल्य, मानव मूल्य, चारित्रिक संस्कार सब कुछ लुप्त होता चला जा रहा है। हर एक व्यक्ति मात्र अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इन मूल्यों को यदि राजनीतिक संदर्भ में खंगाला जाए तो शायद ही कहीं कुछ मिल पाए। क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में मूल्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं। प्रत्येक नेता अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसको जो सही लगता है वो सब करने के लिए तैयार है भले ही उसका कृत्य मानवमात्र को विदलित कर देने वाला हो। आज राजनीतिकरण में बढ़ते आपराधिक मामले सर्वाधिक इसीलिए है क्योंकि मानव सभ्यता मूल्य विहीन होने लगी है।

आज भारत का कोना कोना मशीनरी युग से आवृत्त होता हुआ प्रतीत होने लगा है। प्रत्येक ओर मनुष्य कम और मशीने अधिक कार्य करती है । औद्योगिकीकरण भौगोलीकरण और भौतिकतावाद तेजी से बढ़ने के कारण एक चक्र के रूप में अपराधों के मामले निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में अन्य क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है जहाँ परस्पर आश्रितता प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है। विभिन्न अपराधों का मुख्य कारण अपने कार्यों के प्रति एक दूसरे पर आश्रित रहना भी है इस कारण राजनीति में अपराधिक मामलों में वृद्धि हो रही हैं।

राजनीतिक अपराधों का प्रमुख कारण यह भी है कि, जो कानून व्यवस्था अथवा राज्य की व्यवस्थाएँ विकृत स्वरूप को प्राप्त हो चुकी है उनको कोई बदलने को तैयार नहीं है। जब तक शासन के जर्जर ढांचे को परिवर्तित कर उसे नवीनता नहीं प्रदान की जाएगी, नियमों में बदलाव नहीं लाया जाएगा तब तक आपराधिकरण के मामले सामने आते रहेंगे।

राजस्थान राजनीति में अपराधीकरण के गंभीर मुद्दे

वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान मैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अत्यधिक आपराधिक प्रवृत्तियाँ तेजी से पनपने लगी है जो समाज और राज्य की नींव को निरंतर कमजोर करती चली जा रही है । देश अथवा राज्य में चुनाव प्रशासन एवं भ्रष्टाचार सबसे अधिक अपराधीकरण के तत्वों को बढ़ाने में सफल हो रहा है। राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा अपराधिक तत्व है चुनाव। आगामी लोकसभा एवं विधान मंडलों के चुनाव में अनेक नवीन प्रवृत्तियाँ समझने में अत्यधिक चिंता परिलक्षित होती है । अपराधी मामले सरकार एवं दलों दोनों के मध्य समन्वय की भावना बनाए रखते हैं।

एक समय ऐसा भी था जब राजस्थान की राजनीति ईमानदारी, सेवाभाव और राष्ट्रभक्ति के माध्यम से एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी। यही ताकत समाज व राष्ट्र विरोधी शक्तियां को नियंत्रित करते हुए जहरीले फन को कुचलने वाली थी। मध्यकालीन अवस्था में गुलामी के दौर में राजनीति इन शक्तियां के दमन करने का दम रखती थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति ने कई अपराधों का खुलासा किया था जिसमें अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता पर अत्याचार एवं शोषण की नीतियां जबरदस्त थोपी जाती थीं। ये सभी प्रकार के आयाम राजस्थान में राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाले थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2017 के आपराधिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में राजस्थान का 1,69,941 आपराधिक प्रकरणों के साथ 7वां स्थान रहा, जबकि वर्ष 2018 में अपराध में बढ़ोत्तरी होकर 1,71,880 आपराधिक उप्रकरण दर्ज किए गए। वर्ष 2019 में आपराधिक मामलों पर गौर करें तो सितम्बर तक ही प्रदेश में आपराधों का आंकड़ा 1,76,484 हो गया।

राजस्थान की राजनीति में देखा जाए तो चुनावी वातावरण के आगमन के साथ साथ ही अपराधों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी प्रारम्भ हो जाती है । प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर राजस्थान में चाहे कोई भी दल हो हर एक स्वयं को बनाने के लिए अनेक प्रकार की कुचाल करने से पीछे नहीं हटता। राजस्थान में जनवरी के मुकाबले हत्याओं को छोड़कर सभी अपराधों में एक ह्रास देखा गया। उसके बाद मार्च माह तक लगते लगते चुनाव की आचार संहिता लगने के उपरांत मार्च अप्रैल मई तक की लंबी अवधि आचार संहिता के साथ ही साथ व्यतीत हुई।

राजस्थान का सायबर अपराधों के मामलों में चौथा स्थान है । राजस्थान में सायबर जालसाजों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। आए दिन सायबर ठगी के शिकारों की संख्या बढ़ती जा रही है।

राजस्थान क्राइम रिकॉर्ड वर्ष 2019 के अनुसार 31 फीसदी अपराध बढ़े राजस्थान में अपराध के ये वो आंकड़े हैं, जो कानून व्यवस्था की भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। राजस्थान में अपराधियों के हौंसले किस कदर बुलन्द है। ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसे जघन्य अपराधों में वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार 88 प्रतिशत भारतीय नागरिक राजनीतिक दलों को सबसे भ्रष्ट मान रहे हैं, यह हास्यास्पद है कि राजनीतिक दल एक ओर

तो यह दावा करते हैं कि वे जनता की नब्ज जानते हैं और दूसरी ओर उसकी अपेक्षाओं के विपरीत काम करते हैं।

इस प्रकार जिस ओर भी राजनीतिक क्षेत्र में दृष्टि डाली जाए उधर अपराध ही अपराध नजर आता है। राजनीति का अपराधीकरण जनतंत्र के लिए भयावह खतरा है।ह प्रश्न यह है कि, आजीवन कारावास की सजा पाए ममान्यताओं को सभा में प्रवेश से वंचित करने के लिए संसद में क्या किया? दलतंत्र ने बड़े भाग में अपराधियों को ही गोद ले लिया। संवेदनशील राजनीतिक कार्यकर्ता खोटे सिक्के होने गगए और आपराधिक चरित्र वाले उन्हें धकियाकर आगे निकल गये।

आज अपराध मुक्त देश, जनता की इच्छा है। अपराध मुक्त देश संसद और कार्यपालिका का पहला कर्तव्य है। राजनीति और सत्ता इसी कर्तव्य के पालन के उपकरण हैं।

आज राजस्थान की राजनीति के लिए यह आत्ममंथन का समय है। अब तक न्यायपालिका नौकरशाही उद्योगपतियों को ही नसीहत दे रही थी लेकिन अब राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक जमात दोनों को सुधारने के लिये फैसलों की झड़ी लग गई है। फैसलों में सुधार का संदेश है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि, जो लोग गम्भीर अपराधों के आरोपों में फंसे हैं, किसी भी अदालत से अपराधिक साबित हो चुके हैं अथवा सलाखों के पीछे हैं वे चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। जो आज के संदर्भ में गलत नहीं बल्कि उपयुक्त है।

निष्कर्ष

सार रूप में कह सकते हैं कि, प्रत्येक राज्य की शासन व्यवस्था को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए अपराधीकरण को दूर करना अत्यावश्यक है। राजस्थान की राजनीति में अपराधीकरण को दूर करने के लिए सवस्थ नागरिक को इसके साथ साथ संपूर्ण मानव सभ्यता में राजनीतिक जागृति, राजनीतिक सक्रियता को उत्पन्न करना होगा तथा आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को राजनीति में प्रवेश करने से रोकना होगा। इन अपराधी किस्म के लोगों का राजनीति में प्रवेश रोकने के लिए उच्च कोटि के मापदंड बनाए जाने चाहिए। अपराधियों पर कड़े कानून निर्मित करें, उनको क्रियान्वित भी करना चाहिए। जिससे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, योग्यतापूर्ण एवं उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों को राजनीति में एक नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त हो। इस प्रकार ही राजनीतिक अपराधों को कम किया जा सकेगा और आपराधिक प्रवृत्ति के नेता लोग पहले से जो राजनीति में अपनी जड़ फफैलकर बैठे हैं उन्हें पुनः अवसर न देकर ही पूर्व में किए गए आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को राजनीति से बाहर निकाला जा सकता है।

अन्ततः देश एवं राज्य के प्रशासनिक ढांचे हो यदि मजबूत करना है, राष्ट्र को विकास की ओर लेकर जाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सर्वप्रथम प्रत्येक नागरिक को नैतिक मूल्यों, आदर्शों, चारित्रिक गुणों, धर्म, दर्शन और नवाचार से जोड़ना होगा। तभी देश और राज्य का उत्थान संभव हो सकेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में तैयार किये गये एजेंडा "विकसित भारत 2047 को परिपूर्ण करने के लिए प्रत्येक राज्य अपने राजनैतिक क्षेत्र में नैतिकता, धार्मिकता, सांस्कृतिकता, सामाजिकता चारित्रिकता आदि गुणों को बढ़ावा देकर कागजों पर ली गई शपथ को अपने मन मस्तिष्क और हृदय में उतारना होगा। तभी अपराधिक मामलों को समाप्त किया जा सकता है। यह एक गंभीर और सतत चिंतन है। जो अनवरत गतिशील रहेगा।

REFERENCES

1. अग्रवाल, एम.पी. एण्ड अग्रवाल जे.सी. - लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन्स इन कम्पनी, नई दिल्ली-1989-90

2. अग्निहोत्री, डॉ. ए.एन. - अपराधी कल्याण के विविध आयाम, आराधना ब्रदर्स गोविन्द नगर, कानपुर-1995,

3. भगत, अंजना - इलेक्शन एण्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली-1996.

4. बघेल, डॉ. डी.एस.- 'अपराध शास्त्र', कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल-2001.

5. भण्डारी, विजय - राजस्थान की राजनीति सामन्तवाद से जातिवाद के भंवर में, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली-2001.

6. लीएडर, पोलीन वन- राजस्थान की राजनीति, एसोलीन फ्रेंस पब्लिकेशन-2003.

7. चतुर्वेदी, डॉ. मुरलीधर - अपराध शास्त्र एवं दण्डशास्त्र, लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन – इलाहाबाद, 2007.

8. चौहान, एम.एस. - अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद-2007.

9. मिश्रा, एस. एन. - राजनीति में अपराध का रूप, इलाहाबाद पब्लिकेशन-2015.

10. यौन हिंसा, हत्या एवं अपराध - सांख्यिकी रिपोर्ट, भारत सरकार-2019.